

Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 128–2022/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, JULY 18, 2022 (ASADHA 27, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 जुलाई, 2022

संख्या 39/जीएसटी—2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप—धारा (3) और उप—धारा (4), धारा 11 की उप—धारा (1), धारा 15 की उप—धारा (5) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 47/एसटी—2, दिनांक 30 जून, 2017 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 47 / एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में,-

- (क) सारणी में, खाना (3) में-
 - (i) क्रम संख्या 6 के सामने, खण्ड (i) में, "स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभीकरण सेवाओं के माध्यम से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को" शब्दों का लोप किया जाएगा:
 - (ii) क्रम संख्या 7 के सामने, व्याख्या में, खण्ड (क) में, उप—खण्ड (i) में, "स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभीकरण सेवाओ के माध्यम से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को" शब्दों का लोप किया जाएगा;
 - (iii) क्रम संख्या 8 के सामने, परन्तुक में, खण्ड (i) में, "स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभीकरण सेवाओ के माध्यम से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को" शब्दों का लोप किया जाएगा:
 - (iv) क्रम संख्या 9 के सामने, प्रथम परन्तुंक में, खण्ड (i) के स्थान पर, ''(i) डाक विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं;" खण्ड प्रतिस्थपित किया जाएगा;
- (ख) क्रम संख्या 12 के सामने, खाना (3) में, "किराए पर देने सम्बन्धी सेवाएं" शब्दों के पश्चात्", ''उस स्थिति को छोड़कर, जहां ऐसे आवासीय भवन को किसी पंजीकृत व्यक्ति को किराए पर दिया जाता हो," शब्दों को रखा जाएगा;
- (ग) क्रम संख्या 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (घ) क्रम संख्या 15 के सामने, खाना (३) के नीचें, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थांपित किया जाएगा:—
 - "(क) इकोनॉमी क्लास में वायुमार्ग से, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, या त्रिपुरा राज्य या पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित बागडोगरा में अवस्थित विमानपत्तन से प्रस्थान या समापन;";

- (ङ) क्रम संख्या 20 के सामने, खाना (3) में, खण्ड (घ) का लोप किया जाएगा;
- (च) क्रम संख्या 21 के सामने, खाना (3) में, खण्ड (ख) और (ग) का लोप किया जाएगा;
- (छ) क्रम संख्या 24ख के सामने, खाना (3) के नीचे विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

(3) "अनाज, दालों, फल और सब्जियों के भंडारण या वेयर हाऊसिंग के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं.";

(ज) क्रम संख्या 24ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"24ग	अध्याय ९९६८	पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, बुक पोस्ट और साधारण डाक (जिनमें लिफाफे का वजन 10 ग्राम से कम हो), के माध्यम से डाक विभाग के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं;;	कुछ नहीं	कुछ नही";

- (झ) क्रम संख्या 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ञ) क्रम संख्या 32 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ट) क्रम संख्या 33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ठ) क्रम संख्या ४७क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ड) क्रम संख्या 51 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ढ) क्रम संख्या 52 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, यथा:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"52क	शीर्ष 9985	टूर प्रचालक सेवा, जो कि आंशिक रूप से भारत में और आंशिक रूप से भारत के बाहर दी जाती है और टूर ऑपरेटर के द्वारा विदेशी पर्यटक को सुलम कराई जाती है, भारत के बाहर सुलम कराई जाने वाली टूर ऑपरेटर सेवा के मूल्य की सीमा तक: परंतु भारत के बाहर दी गई टूर ऑपरेटर सेवा का मूल्य पूरे दौरे के लिए प्रभारित कुल प्रतिफल का ऐसा अनुपात होगा जो उस अनुपात के बराबर होगा जो भारत के बाहर दौरे के दिनों की संख्या और टूर के लिए कुल दिनों की संख्या के बीच है, या पूरे टूर के लिए कुल प्रतिफल का 50%, जो भी कम हो: परंतु यह और कि उपरोक्त गणना करते समय, 12 घंटे के बराबर या उससे अधिक समय की किसी भी अवधि को एक पूरा दिन माना जाएगा और 12 घंटे से कम की किसी भी अवधि को आधा दिन माना जाएगा। व्याख्या — "विदेशी पर्यटक" से अभिप्राय है, कोई ऐसा व्यक्ति, जो सामान्य रूप से भारत का नागरिक नहीं है और वैध और गैर—आप्रवासी उद्देश्य के लिए छह महीने से अधिक अवधि के लिए भारत में रुकने के लिए आता है। दृष्टांत: कोई टूर ऑपरेटर किसी विदेशी पर्यटक को पर्यटन ऑपरेटर सेवा निम्नानुसार प्रदान करता है:— (क) भारत में 3 दिन, नेपाल में 2 दिन; पूरे दौरे के लिए लिया गया प्रतिफल: रु.1,00,000/—, छूट: रु. 40,000/— (=रु.1,00,000/— X 2/5) या, रु.50,000/—	शून्य	शून्य";

(= रु.1,00,000 / - का 50%) जो भी कम हो, अर्थात्	
रु. 40,000/- (अर्थात कर योग्य मूल्य: रु.	
60,000 / -);	
(ख) भारत में 2 दिन, नेपाल में 3 रातें, पूरे दौरे के	
लिए लिया गया प्रतिफल रु. 1,00,000 /	
ছट: रु. 60, 000 (= रु.1, 00, 000/- X 3/5)	
या. रु. 50,000 /—	
(= रु. 1, 00, 000 / – का 50%) जो भी कम हो	
,यानी, रु. 50,000 / — (अर्थात्, कर योग्य मूल्य: रु.	
50,000 / -);	
(ग) भारत में 2.5 दिन, नेपाल में 3 दिन; पूरे दौरे के	
लिए लिया गया प्रतिफल रु. 1,00,000 / —.	
छूट: रु. 54,545 (= रु. 1,00,000 / − X 3 / 5.5) या,	
रु. 50,000 / − (= रु. 1,00,000 / − का 50%), जो	
भी कम हो, अर्थात। ,रु. 50,000/— (अर्थात, कर	
योग्य मृत्य रु. 50,000 / -).	
۹۱ ۹ (۲۹ ۲. ۵۵,۵۵۵ /).	

- (ण) क्रम संख्या 53क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (त) क्रम संख्या 54 के सामने, खाना (3) में, खण्ड (ज) का लोप किया जाएगा;
- (थ) क्रम संख्या 56 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा:
- (द) क्रम संख्या 73 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ध) क्रम संख्या 74 के सामने, खाना (3) में, खण्ड (क) में, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

(3)

"परंतु उस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात किसी नैदानिक स्थापन द्वारा कमरे [इंटेंसिव केयर यूनिट (आईसीयू)/क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू)/इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट (आईसीसीयू)/नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट (एनआईसीयू) से भिन्न] के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लागू नहीं होगी जिसका शुल्क रु. 5000/— प्रति दिवस से अधिक हो, ऐसे व्यक्ति को जिसे स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं दी जा रही हो।";

- (न) क्रम संख्या 75 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (प) क्रम संख्या 80 के सामने, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थातु;

(3)

"प्रशिक्षण या कोचिंग के द्वारा सेवाएं-

- (क) कला या संस्कृति से सम्बंधित आमोद-प्रमोद के क्रिया कलाप में, किसी व्यक्ति द्वारा या
- (ख) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 43) की धारा 12कक या 12कख अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी पूर्त अस्तित्व द्वारा खेल,";
- (फ). क्रम संख्या 82क के सामने, खाना (3) के नीचें, "अधिकार के रूप में सेवाएं" शब्दों के पश्चात्, "[जब भी पुनर्नियोजित हो]" कोष्ठक और शब्द को रखा जाएगा।
- 2. यह अधिसूचना दिनांक 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी।

अनुराग रस्तोगी, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 18th July, 2022

No. 39/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 47/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 47/ST-2, dated the 30th June, 2017

- (A) in the Table, -
 - (a) in column (3),
 - against serial number 6,in clause (a), the words "by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than the Central Government, State Government, Union territory" shall be omitted;
 - (ii) against serial number 7, in the Explanation, in clause (a), in sub-clause (i), the words "by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than the Central Government, State Government, Union territory" shall be omitted;
 - (iii) against serial number 8, in the proviso, in clause (i), the words "by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than the Central Government, State Government, Union territory" shall be omitted;
 - (iv) against serial number 9, in the first proviso, in clause (i), the words "by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than the Central Government, State Government, Union territory" shall be omitted;
 - (b) against serial number 12, under column (3), after the words "as residence", the words "except where the residential dwelling is rented to a registered person" shall be inserted;
 - (c) serial number 14 and the entries relating thereto shall be omitted;
 - (d) against serial number 15, under column (3), for clause (a), the following shall be substituted: -

(3)

"(a) air in economy class, embarking from or terminating in an airport located in the state of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, or Tripura or at Bagdogra located in West Bengal;";

- (e) against serial number 20, under column (3), clause (d) shall be omitted;
- (f) against serial number 21, under column (3), clauses (b) and (c) shall be omitted;
- (g) against serial number 24B, for the entries under column (3), the following entries shall be substituted namely: -

(3)
"Services by way of storage or warehousing of cereals, pulses, fruits and vegetables.";

(h) after serial number 24B and the entries relating thereto, the following serial number and entriesshall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"24C	Chapter 9968	Services by the Department of Posts by way of post card, inland letter, book post and ordinary post (envelopes weighing less than 10 grams).	Nil	Nil";

- (i) serial number 26 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (j) serial number 32 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (k) serial number 33 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (l) serial number 47A and the entries relating thereto shall be omitted;
- (m) serial number 51 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (n) after serial number 52 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"52A	Heading 9985	Tour operator service, which is performed partly in India and partly outside India, supplied by a tour operator to a foreign tourist, to the extent of the value of the tour operator service which is performed outside India: Provided that value of the tour operator	Nil	Nil";
		service performed outside India shall be such proportion of the total consideration charged for the entire tour which is equal to the proportion which the number of days for which the tour is performed outside India has to the total number of days comprising the tour, or 50% of the total consideration charged for the entire tour, whichever is less:		
		Provided further that in making the above calculations, any duration of time equal to or exceeding 12 hours shall be considered as one full day and any duration of time less than 12 hours shall be taken as half a day.		
		Explanation"foreign tourist" means a person not normally resident in India, who enters India for a stay of not more than six months for legitimate non-immigrant purposes.		
		Illustrations:		
		A tour operator provides a tour operator service to a foreign tourist as follows: -		
		(a) 3 days in India, 2 days in Nepal; Consideration Charged for the entire tour: Rs.1, 00, 000/-		
		Exemption: Rs. 40, 000/- (=Rs.1, 00, 000/- x 2/5) or, Rs.50, 000/- (= 50% of Rs.1, 00, 000/-) whichever is less, i.e., Rs. 40, 000/- (i.e., Taxable value: Rs. 60, 000/-);		
		(b) 2 days in India, 3 nights in Nepal; Consideration Charged for the entire tour: Rs.1, 00, 000/-		
		Exemption: Rs.60, 000 (=Rs.1, 00, 000/- x 3/5) or, Rs.50, 000/- (= 50% of Rs.1, 00, 000/-) whichever is less, i.e., Rs. 50, 000/- (i.e., Taxable value: Rs.50, 000/-);		
		(c) 2.5 days in India, 3 days in Nepal; Consideration charged for the entire tour:		

Rs.1, 00, 000/-	
Exemption: Rs.54,545(=Rs.1, 00, 000/- x	
3/5.5) or, Rs.50, 000/- (= 50% of Rs.1, 00,	
000/-) whichever is less, i.e., Rs.50, 000/-	
(i.e., Taxable value: Rs.50, 000/-).	

- (o) serial number 53A and the entries relating thereto shall be omitted;
- (p) against serial number 54, under column (3), clause (h) shall be omitted;
- (q) serial number 56 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (r) serial number 73 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (s) against serial number 74, under column (3), in clause (a), the following proviso shall be inserted, namely: -

(3)

"Provided that nothing in this entry shall apply to the services provided by a clinical establishment by way of providing room [other than Intensive Care Unit (ICU)/Critical Care Unit(CCU)/Intensive Cardiac Care Unit (ICCU)/Neo natal Intensive Care Unit (NICU)] having room charges exceeding Rs. 5000 per day to a person receiving health care services.";

- (t) serial number 75 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (u) against serial number 80, for the entries under column (3), the following entries shall be substituted namely: -

(3)

"Services by way of training or coaching in-

- (a) recreational activities relating to arts or culture, by an individual, or
- (b) sports by charitable entities registered under Section 12AA or 12AB of the Income Tax Act 1961 (Central Act 43 of 1961).";
- (v) against serial number 82A, under column (3), after the letters, figures and words, "FIFA U-17 Women's World Cup 2020", the brackets and words "[whenever rescheduled]" shall be inserted.
- 2. This notification shall come into force with effect from the 18th July, 2022.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.